



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052026-272228
CG-DL-E-04052026-272228

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]
No. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948
NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(आई.डब्ल्यू.टी- II अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2026

फा. सं. ए -12011/12/2020-आई.डब्ल्यू.टी.—भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा (3) की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, कमोडोर श्रीराज शिंदे को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 7वें सीपीसी के स्तर -14 [37,400 -67,000 रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान और ग्रेड वेतन 10,000/- रुपये] पर तीन (03) वर्षों की अवधि के लिए 15.04.2026 (पूर्वाह्न) से 14.04.2029 तक जिसे 5 वर्ष तक या उनकी अधिवर्षिता तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ाया जा सकता है, सदस्य (तकनीकी) के रूप में नियुक्त करती है।

कमला कांता नाथ, सलाहकार (सांख्यिकी)

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(IWT-II section)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th April, 2026

F. No. A-12011/12/2020-IWT.—In exercise of powers conferred by sub-section (3) of Section (3) of the Inland Waterways Authority of India Act, 1985 (82 of 1985), the Central Government hereby appoints Commodore Shreeraj Shinde as Member (Technical), Inland Waterways Authority of India (IWAI) on deputation basis in the Level-14 of the 7th CPC [Pre-revised scale of pay of Rs. 37,400-67,000/- with grade pay of Rs. 10,000/-] for a period of three (03) years w.e.f. 15.04.2026 (FN) to 14.04.2029 which is extendable upto 5 years or till his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

KAMALA KANTA NATH, Adviser (Statistics)